BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र गाजुद्दीन निवासी मौ0 सराय अल्लो थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु लडाई, झगडा, मारपीट, चोरी जैसे जघन्य अपराध करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 02.08.1995 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 362/1995 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 24.03.1996 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अब्दुल रहमान को 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त अब्दुल रहमान का अपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-256/90 धारा 147,323,504,336,427 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-97/92 धारा 147,148,324,307 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-569/92 धारा 307 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-112/94 धारा 147,148,149,307,323,506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-17/95 धारा 395,307 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-31/95 धारा 159 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-44/95 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-123/95 धारा 302 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर